

राजस्थान वित्त विधेयक, 2009

(जैसा कि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम.-** इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2009 है।

2. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.-** राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 3 से 12 तक के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 में संशोधन

3. **2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 2 का संशोधन.-** राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 7), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 का विद्यमान खण्ड (ट्ट) हटाया जायेगा।

4. **2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 6 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 6 के विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“ परन्तु राजस्व घाटा और राजवित्तीय घाटा,-

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा या सूखा सहायता को सम्मिलित करते हुए प्राकृतिक आपदा या राज्य सरकार के नियंत्रण से परे की ऐसी अन्य आपवादिक परिस्थितियों से राज्य सरकार के वित्त पर उत्पन्न होने वाली अकल्पित मांगों के आधार या आधारों के कारण; या

(ख) विकास और अन्य अपरिहार्य व्यय के कारण; या

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उपदर्शित सीमाओं तक,

इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो सकेगा :”।

5. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 6क का हटाया जाना .- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 6क हटायी जायेगी।

अध्याय 3

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

6. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “में प्रगणित व्यवहारी” के पश्चात् और अभिव्यक्ति “से भिन्न कोई व्यवहारी,” के पूर्व अभिव्यक्ति “या वह व्यवहारी या व्यवहारियों का वर्ग जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये,” अन्तःस्थापित की जायेगी।

7. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 38 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (4) के अंत में आये विराम चिह्न “।” के स्थान पर विराम चिह्न “:” प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित पूर्वोक्त उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु जहां रोक के लिए किसी आवेदन को उसके फाईल किये जाने से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर नहीं निपटाया जाता और देरी आवेदक के कारण नहीं हुई हो तो उसे इस शर्त के अध्यक्षीन स्वीकार किया हुआ समझा जायेगा कि ऐसा व्यवहारी या व्यक्ति, निर्धारण प्राधिकारी या, यथास्थिति, अधिकारी के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से प्रस्तुत कर दे, जो विहित की जाये।”।

8. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 53 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (1) में अन्त में आये विराम चिह्न “1” के स्थान पर विराम चिह्न “:” प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित पूर्वोक्त उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु ऐसे व्यवहारी के मामले में जो इलैक्ट्रोनिक रूप से विवरणी फाईल करता है और धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन तिमाही निर्धारण के लिए विकल्प भी देता है, तो उसे प्रतिदेय रकम के पचास प्रतिशत की सीमा तक अनंतिम रूप से प्रतिदाय, प्रतिदेय रकम की जमा के पश्चात्पूर्ती सत्यापन के अध्यक्षीन रहते हुए किया जा सकेगा।”।

9. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 58 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 58 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“58. विवरणी देने में विफल रहने के लिए शास्ति.- जहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा यथा-प्राधिकृत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक के किसी भी अन्य अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई भी व्यवहारी अनुज्ञात समय के भीतर-भीतर विहित विवरणी देने में, युक्तियुक्त कारण के बिना, विफल हो गया है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यवहारी शास्ति के रूप में, -

(i) ऐसे मामले में, जिस में व्यवहारी से धारा 20 के अधीन प्रति मास कर संदत्त करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे व्यतिक्रम के प्रथम पंद्रह दिवस के लिए एक सौ रुपये प्रतिदिन और तत्पश्चात् ऐसी कालावधि के लिए जिसके दौरान ऐसी विवरणी देने में व्यतिक्रम चालू रहता है, प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये के बराबर, किन्तु कुल मिलाकर इस प्रकार निर्धारित कर के तीस प्रतिशत से अनधिक राशि; और

(ii) समस्त अन्य मामलों में, ऐसी कालावधि के लिए जिसके दौरान ऐसी विवरणी देने में व्यतिक्रम चालू रहता है, पांच हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये के बराबर राशि,-

संदत्त करेगा।”।

10. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 73 का संशोधन.-
मूल अधिनियम की धारा 73 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति “दस्तावेज प्रस्तुत करता है,” के पश्चात् और अभिव्यक्ति “भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी” के पूर्व अभिव्यक्ति “या वह व्यवहारी या व्यवहारियों का वर्ग जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये” अन्तःस्थापित की जायेगी।

11. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 77 का संशोधन.-
मूल अधिनियम की धारा 77 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और सदैव से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

“(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी संविदा में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी उप-धारा (1) के अधीन आने वाला संविदाकार-

(i) संगृहीत कर; या

(ii) संविदाकृत वार्षिक कर राजस्व की रकम,

जो भी अधिक हो, कर की दर में किसी भी वृद्धि या कमी या कर से छूट देने के कारण पुनरीक्षण के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर निक्षिप्त करेगा, जो विहित की जाये, और इस अधिनियम के वसूली और ब्याज के उपबंधों सहित, सभी उपबंध यावत्शक्य ऐसे संविदाकार को लागू होंगे।

(2क) किसी नियम, निर्णय, आदेश या किसी अन्य लिखत में किसी बात के होने पर भी राजस्थान वित्त अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. -----) द्वारा यथा संशोधित उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार संदेय कर की रकम, यदि संदत्त नहीं की जाती है तो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो मास के भीतर-भीतर राज्य सरकार को निक्षिप्त की जायेगी।”।

अध्याय 4

राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 में संशोधन

12. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 में धारा 3ख का अन्तःस्थापन.
- राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं.12) की विद्यमान धारा 3क के पश्चात् और धारा 4 के पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

“3ख. जलसंरक्षण उपकर का उद्ग्रहण.- (1) किसी उपभोक्ता द्वारा या ऊर्जा का उत्पादन करने वाले किसी प्रदायक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के उपयोग या उपभोग के लिए उपभुक्त ऊर्जा पर दस पैसे प्रति यूनिट की दर से “जल संरक्षण उपकर” के नाम से उपकर राज्य सरकार के लिए उद्ग्रहीत और उसे संदत्त किया जायेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई उपकर ऐसी ऊर्जा पर उद्ग्रहणीय नहीं होगा-

- (क) जिसका भारत सरकार द्वारा उपभोग किया जाये;
- (ख) जिसका भारत सरकार द्वारा किसी भी रेलवे के संनिर्माण, रख-रखाव या प्रचालन में उपभोग किया जाये;
- (ग) जिसका घरेलू प्रवर्ग में उपभोग किया जाये;
- (घ) जिसका किसी खेतिहर द्वारा कृषि कार्यों में उपभोग किया जाये;
- (ङ) जिसका निम्नलिखित वर्गों की संस्थाओं द्वारा उपभोग किया जाये, अर्थात्:-
 - (i) अस्पताल या औषधालय जो निजी लाभ के लिए नहीं चलाये जाते,
 - (ii) मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं,
 - (iii) पूजा के सार्वजनिक स्थान,

इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भवनों या भवनों के भागों में उपभुक्त ऊर्जा पर इस उप-खण्ड के अधीन छूट लागू नहीं होगी;

- (च) जहां ऊर्जा का उत्पादन 100 वोल्ट से अनधिक के वोल्टेज पर किया जाता हो।

(2) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध जहां तक हो सके उप-धारा (1) के अधीन संदेय उपकर के उद्ग्रहण, संदाय, ब्याज, संगणना और वसूली के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस अधिनियम के अधीन संदेय विद्युत् शुल्क के उद्ग्रहण, संदाय, ब्याज, संगणना और वसूली पर लागू होते हैं।

(3) इस धारा के अधीन संगृहीत उपकर चिह्नित होगा और राज्य में जलसंरक्षण के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

1. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम को राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त का प्रबंध, समयबद्ध लक्ष्यों के साथ राजवित्तीय समेकन का जिम्मा लेते हुए राजवित्तीय उत्तरदायी रीति से, कराये जाने के प्रयोजन से अधिनियमित किया गया था। सामान्य से अधिक राजस्व वृद्धि वाले वर्षों में राज्य राजस्व के एक भाग को अलग से रखने और ऐसे संचय को राजवित्तीय संकट के वर्षों में और गरीबी कम करने और विकास प्रयोजनों के लिए उपयोग में लेने के लिए वर्ष 2007 में इस अधिनियम में संशोधन के द्वारा “राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि” के नाम से समकरण निधि सृजित की गयी थी। वास्तव में, इस निधि के सृजन से लेखांकन में विसंगतियां हो गयी हैं। इस निधि का सृजन राजस्व व्यय शीर्ष में उपबंध करके किया गया है और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए इस निधि में से उपगत व्यय राज्य के पूंजीगत खाते में प्रतिबिंबित नहीं होता। इसके अतिरिक्त, संशोधन के अनुसार इस निधि का उपयोग ऐसे किसी वर्ष में, जिसमें राज्य की कुल कर प्राप्तियां पूर्ववर्ती वर्ष से 10 प्रतिशत कम प्राक्कलित की जायें, किसी राजस्व या पूंजीगत व्यय की पूर्ति के लिए और विकास व्यय की पूर्ति या गरीबी कम करने के कार्यक्रमों के लिए किया जा सकेगा। अतः ऐसी स्थिति में, जहां कर प्राप्तियां 10 प्रतिशत से कम न हों, किन्तु बढ़े हुए राजस्व व्यय के कारण राजस्व घाटा होने की आशंका हो तो निधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। यह राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम की भावना के अनुरूप नहीं है क्योंकि यह राजस्व घाटे की समाप्ति को परिकल्पित करता है। अतः अधिनियम की धारा 6क को हटाया जाना प्रस्तावित है। परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 2 का खण्ड (टट) भी हटाया जाना प्रस्तावित है।

भारत सरकार द्वारा घोषित द्वितीय आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का भाग होने से, पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वर्ष 2008-09 में उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त बाजार उधार लेने की अनुमति दी गयी है। तदनुसार, भारत सरकार ने वर्ष 2008-09 के लिए राजवित्तीय घाटा लक्ष्यों को शिथिल किया है और राजस्व घाटे की समाप्ति की अपेक्षा को भी शिथिल किया है। वर्ष 2009-10 के लिए भी भारत सरकार ने राजवित्तीय लक्ष्यों में वैसी ही शिथिलता प्रदान की है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 6 के प्रथम परन्तुक को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि राज्य सरकार राजवित्तीय लक्ष्यों को भारत सरकार द्वारा अनुज्ञात सीमा तक बढ़ा सके या विकास और अन्य अपरिहार्य व्यय को पूरा कर सके।

2. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

धारा 3 की उप-धारा (2) यह उपबंधित करती है कि आयातकर्ता या विनिर्माता से भिन्न ऐसे व्यवहारी, जो राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों से माल क्रय करते हैं और जिनका पण्यार्वत एक वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, अपने पण्यार्वत पर कर का संदाय अधिसूचित दर पर करने के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। यह महसूस किया गया है कि इसमें अंतर्वलित जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा कतिपय व्यापारों को नहीं दी जानी चाहिए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को ऐसे व्यवहारी या व्यवहारियों के वर्ग को जिन्हें वह अधिसूचित करे, धारा 3 की उप-धारा (2) के कार्य क्षेत्र से अपवर्जित करने के लिए सशक्त किया जाना प्रस्तावित है।

उपायुक्त (अपील) द्वारा रोक आवेदन के निपटारे में विलम्ब से रोक का प्रयोजन ही विफल हो जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोक आवेदन पूर्विकता के आधार पर विनिश्चित किये जायें, धारा 38 की उप-धारा (4) के विद्यमान उपबंधों को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि जहां रोक आवेदन को उसके फाइल किये जाने के तीस दिन के भीतर-भीतर विनिश्चित नहीं किया जाये और विलम्ब आवेदक के कारण न हुआ हो, वहां ऐसा आवेदन पर्याप्त प्रतिभूति दिये जाने की शर्त के अधीन स्वीकृत किया गया समझा जायेगा।

व्यवहारियों को तिमाही निर्धारण का विकल्प देने और साथ ही उसकी विवरणी इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रतिदेय रकम की जमा के पश्चात्पूर्ती सत्यापन के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रतिदेय रकम के पचास प्रतिशत की सीमा तक अनंतिम रूप से प्रतिदाय किये जाने के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (1) में एक परन्तुक का जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

व्यवहारी द्वारा विवरणी फाइल करने में विलम्ब हेतु विद्यमान दण्डिक उपबंध विवरणियां फाइल करने में अनुपालन स्तर को सुधारने में विफल हो गये हैं। विवरणियों पर आधारित स्वनिर्धारण मूल्य परिवर्धित कर का आधारभूत विषय है, इस प्रकार विवरणी फाइल करने में अनुपालन में सुधार किया जाना है। अतः विवरणी फाइल करने में विलम्ब हेतु अधिक शास्तियों का उपबंध करने के लिए धारा 58 के विद्यमान उपबंध को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 73 रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उपबंध प्रगणित करती है। वर्तमान में, ऐसे व्यवहारी को, जिसने धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन या धारा 5 के अधीन कर के संदाय का विकल्प दिया है या जो निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का विहित दस्तावेजों के साथ इ-विवरणी फाइल करता है या साफ्ट प्रति में विवरणी और दस्तावेज प्रस्तुत करता है, संपरीक्षा के कार्यक्षेत्र से अपवर्जित किया गया है, संपरीक्षा के कार्यक्षेत्र से अपवर्जित किये जाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से वास्तविक मांग को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 73 के

अधीन संपरीक्षा के कार्यक्षेत्र से अपवर्जित किये जाने वाले किसी व्यवहारी या व्यवहारियों के वर्ग को अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त किया जाना प्रस्तावित है। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए धारा 73 की विद्यमान उप-धारा (1) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

धारा 77 की उप-धारा (2) के विद्यमान उपबंधों के अनुसार संविदाकार के लिए उसके द्वारा संगृहीत कर जमा कराना अपेक्षित था तथापि, जब संविदाकृत रकम से कम कर संगृहीत किया गया हो तो ऐसा संविदाकार संगृहीत कर की रकम निक्षिप्त करता है न कि संविदाकृत रकम। इस विसंगति को दूर करने के लिए अधिनियम की धारा 77 की उप-धारा (2) को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संशोधन को मूपक के आरंभ की तारीख अर्थात् 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी करके भूतलक्षी प्रभाव दिया जाना भी प्रस्तावित है।

3. राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962

राज्य के लगभग सभी भागों में पेयजल की गम्भीर समस्या का सामना किया जा रहा है। भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग के कारण भूमिगत जल का स्तर तीव्रगति से कम हो रहा है। अतः जल संरक्षण के साथ-साथ जल का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक हो गया है। राज्य में जल की और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए बहते हुए जल के संग्रहण के साथ ही साथ भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए बड़े पैमाने पर जल ग्रहण संरचनाओं का संनिर्माण आवश्यक है। अधिकांश जनता को उनके दैनिक जीवन में जल संरक्षण की आदत शुरू करने और उसे बनाये रखने के लिए सूचित किये जाने, शिक्षित और संवेदनशील बनाये जाने की आवश्यकता है। इन समस्त क्रिया-कलापों के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है जो वर्तमान में मंदी के दबाव में आसानी से वहन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावित जल संरक्षण उपकर ऐसे क्रियाकलापों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए आशयित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 7 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38 की उप-धारा (4) में एक नया परन्तुक जोड़े जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को वह प्ररूप और रीति विहित करने के लिए सशक्त करेगा जिसमें किसी व्यवहारी या व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति प्रस्तुत की जायेगी।

विधेयक का खण्ड 11 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 77 की उप-धारा (2) को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को वह समय और रीति विहित करने के लिए सशक्त करेगा जिसमें कर की दर में वृद्धि या कमी या कर से छूट की मंजूरी के कारण संगृहीत कर की रकम या संविदाकृत वार्षिक कर राजस्व की रकम पुनरीक्षित की जा सकेगी।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

अन्य आपवादिक परिस्थितियों से राज्य सरकार के वित्त पर उत्पन्न होने वाली अकल्पित मांगों के आधार या आधारों के कारण इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो सकेगा :

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में उल्लिखित आधारों के कारण होने वाली सीमाओं के आधिक्य को, उक्त आधारों पर व्यय के विस्तृत विवरण सहित, यथासंभव शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष स्पष्ट किया जायेगा।

6क. राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि .-

(1) “राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि” (जिसे इसमें आगे निधि कहा गया है) के नाम से राज्य के लोक लेखा में सृजित एक निधि होगी।

(2) किसी भी वर्ष में राज्य की कर प्राप्तियां, जिनमें स्वयं के कर और केन्द्रीय करों का हिस्सा समाविष्ट हो और जो पूर्ववर्ती वर्ष से 17.5 प्रतिशत अधिक हों, और कोई भी अन्य राजस्व प्राप्तियां जो राज्य सरकार उचित समझे, राज्य विधान-मण्डल इस संबंध में यदि विधि द्वारा विनियोग का उपबंध करे तो, आगामी वर्ष में निधि में जमा की जायेंगी।

(3) निधि, राज्य सरकार द्वारा केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में ली जा सकेगी :

(क) किसी वर्ष, जिसमें राज्य की कर प्राप्तियां, जिनमें स्वयं के कर और केन्द्रीय करों का हिस्सा समाविष्ट हो, पूर्ववर्ती वर्ष से 10 प्रतिशत कम प्राक्कलित की जायें, किसी राजस्व या पूंजीगत व्यय की पूर्ति के लिए;

(ख) विकास स्कीमों या गरीबी कम करने के कार्यक्रमों पर व्यय की पूर्ति के लिए।

(4) निधि का उपयोग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यथा परिभाषित गैर-विकास या स्थापन व्यय की पूर्ति करने के लिए नहीं किया जायेगा।

XX

XX

XX

2. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 से लिये गये उद्धरण।

XX

XX

3. कर का भार .- (1) XX XX

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उप-धारा (1) के खण्ड (क) या (ख) में प्रगणित व्यवहारी से भिन्न कोई व्यवहारी जो माल का क्रय राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से करता है और ऐसे माल का विक्रय राज्य के भीतर करता है, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट माल के पण्यावर्त को अपवर्जित करते हुए अपने पण्यावर्त पर, धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन यथा-अधिसूचित दर से कर के संदाय का विकल्प इस शर्त के अधीन रहते हुए दे सकेगा कि ऐसा वार्षिक पण्यावर्त किसी वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक न हो।

(3) से (6) XX

XX

XX

XX

XX

XX

38. कर या मांग के संदाय के लिये दायित्व .- (1) से (3) XX XX

(4) जहां किसी व्यवहारी या किसी व्यक्ति ने किसी निर्धारण प्राधिकारी या किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील अधिकारी को कोई अपील फाइल की हो वहां उक्त अपील प्राधिकारी, ऐसी अपील को रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् और अपीलार्थी और निर्धारण प्राधिकारी या अधिकारी या उसके किसी भी प्रतिनिधि की सुनवाई करने के पश्चात् कर या मांग की विवादग्रस्त रकम या उसके किसी भाग की वसूली को ऐसे आदेश की तारीख से छह मास की कालावधि के लिये या अपील का निपटारा किये जाने तक, जो भी पहले हो, इस शर्त के अधीन रोक सकेगा कि उक्त निर्धारिती या व्यक्ति, निर्धारण प्राधिकारी या, यथास्थिति, अधिकारी के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से प्रस्तुत करे दे, जो विहित की जाये। तथापि, अपील प्राधिकारी, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसी रोक को उक्त छह मास की कालावधि के पश्चात् भी छह मास से अनधिक की और कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(5) से (7)

XX

XX

XX

XX

XX

XX

53. प्रतिदाय.- (1) जहां कोई भी रकम इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी व्यवहारी को प्रतिदेय हो वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी रकम के निक्षेप के तथ्य का सम्यक् रूप से सत्यापन कर लेने के पश्चात्, ऐसे व्यवहारी को प्रतिदत्त की जाने वाली रकम का, या तो नकद संदाय करके, या किसी भी कर कालावधि के संबंध में देय कर या अन्य राशि के प्रति समायोजन करके विहित रीति से प्रतिदाय करेगा।

(2) से (6)	XX	XX
	XX	XX

58. विवरणी देने में असफल रहने के लिए शास्ति .- जहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा यथा-प्राधिकृत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक के किसी भी अन्य अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई भी व्यवहारी अनुज्ञात समय के भीतर-भीतर विहित विवरणी देने में, युक्तियुक्त कारण के बिना, विफल हो गया है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यवहारी शास्ति के रूप में -

- (i) ऐसे मामले में, जिसमें व्यवहारी से धारा 20 के अधीन प्रतिमास कर संदत्त करने की अपेक्षा की जाती है तो ऐसी कालावधि के लिए जिसके दौरान ऐसी विवरणी देने में व्यतिक्रम चालू रहता है, प्रत्येक दिन के लिए दस रुपये के बराबर किन्तु कुल मिलाकर इस प्रकार निर्धारित कर के बीस प्रतिशत से अनधिक राशि; और
- (ii) समस्त अन्य मामलों में, ऐसी कालावधि के लिए जिसके दौरान ऐसी विवरणी देने में व्यतिक्रम चालू रहता है, पांच सौ रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक दिन के लिए पांच रुपये के बराबर राशि,-

संदत्त करेगा।

XX XX XX

73. लेखाओं की लेखापरीक्षा.- (1) ऐसे व्यवहारी से, जिसने अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन या धारा 5 के अधीन कर के संदाय का विकल्प दिया है या जो निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विहित दस्तावेजों के साथ ई-विवरणी फाइल करता है या सॉफ्ट प्रति में विवरणी और दस्तावेज प्रस्तुत करता है, भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, यदि उसका पण्यवर्त किसी भी वर्ष में एक सौ लाख रुपये से अधिक होता है, ऐसे वर्ष के संबंध में अपने लेखे उस वर्ष के अंत में विहित

कालावधि के भीतर किसी लेखाकार से लेखापरीक्षित करवायेगा और विहित कालावधि के भीतर-भीतर विहित प्ररूप में, और ऐसे लेखाकार द्वारा, ऐसी विशिष्टियां और प्रमाण-पत्र, जो विहित किये जायें, उपवर्णित करते हुए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "लेखाकार" से अभिप्रेत है.-

(i) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 38) के अर्थान्तर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट ; और

(ii) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) के अर्थान्तर्गत लागत लेखापाल।"।

(2)	XX	XX	XX
	XX	XX	XX

77. संविदा आधार पर जांच-चौकी की स्थापना.- (1) XX XX

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत का कोई संविदाकार कर की दर की किसी भी वृद्धि या कमी या कर से छूट देने के फलस्वरूप पुनरीक्षण के अध्यक्षीन रहते हुए संगृहीत कर की पूर्ण रकम ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर निक्षिप्त करेगा, जो विहित किया जाये और इस अधिनियम के, वसूली और ब्याज के उपबंधों सहित, सभी उपबन्ध यावत्शक्य ऐसे संविदाकार को लागू होंगे।

(3) से (6)	XX	XX	XX
	XX	XX	XX